भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2775
12 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

फूड पार्कों को आवंटित निधि

2775. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क परियोजना के अंतर्गत फूड पार्कों को आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मेगा फूड पार्क परियोजनाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और
(घ) क्या उक्त योजना के लाभों के प्रचार की जानकारी जनता तक नहीं पहुंची है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): केन्द्र सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मेगा फूड पार्क्स स्कीम के अंतर्गत फूड पार्कों को आवंटित धनराशि का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख), **(ग) और (घ):** मेगा फूड पार्क स्कीम के अंतर्गत कोई क्षेत्र-वार लक्ष्य नहीं था। मंत्रालय ने 41 मेगा फूड पार्क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से 24 मेगा फूड पार्क चालू हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत 2,754.33 करोड़ रुपये है, 1,175.27 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है और इन परियोजनाओं के लिए 1,072.55 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिससे 70,343 रोजगार सृजित हुए हैं और 60,277 किसान लाभान्वित हुए हैं। मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत परियोजनाओं को एक अवधि में मंजूरी दी गई और परियोजनाओं के पूरा होने की अवधि 30 महीने है। परियोजनाओं को राज्य सरकारों से विभिन्न वैधानिक मंजूरी की आवश्यकता होती है और मेगा फूड पार्कों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से आबाद करना अधिक समय लेने वाला काम है। यह स्कीम 2008-09 से चालू है और इसके लिए कम से कम 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है जो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में अक्सर बाधा बनती है। मंत्रालय द्वारा मेगा फूड पार्कों को शीघ्रातिशीघ्र प्रचालनरत बनाने के लिए उठाए गए कदमों में परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव द्वारा प्रमोटरों और संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ नियमित प्रगति समीक्षा बैठकें आयोजित करना, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए समय-समय पर योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन करना, प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों (पीपीसी), मानक डिजाइन फैक्टरी (एसडीएफ) शेड और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि पट्टे पर देने सहित सभी परियोजना घटकों पर आनुपातिक वास्तविक प्रगति के साथ अनुदान किस्त जारी करना शामिल है और देरी के लिए उचित जुर्माना लगाया गया है। प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) स्कीम के अंतर्गत योजना की शुरुआत से ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जागरूकता अभियान जैसे समाचार पत्र विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स, प्रदर्शनियां और एक्सपो, क्रेता-विक्रेता बैठकें, मंत्रालय की वेबसाइट आदि के माध्यम से लाभार्थियों के बीच जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने और वृद्धि के लिए विभिन्न पहल की गई हैं। कई राज्य सरकारों और 12वें वित्त आयोग के तहत गठित कार्य समूह की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, पीएमकेएसवाई के तहत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना निर्माण स्कीम (एपीसी) की एक नई स्कीम शुरू की गई ताकि 10 एकड़ के अपेक्षाकृत छोटे भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य अवसंरचना का विकास किया जा सके। तदनुसार, मेगा फूड पार्क योजना को 01.04.2021 से बंद कर दिया गया है ।

*****

अनुबंध

दिनांक 12.12.2024 को उत्तर देने हेतु "फूड पार्कों को आवंटित निधि" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2775 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ रूपये में)	संशोधित बजट अनुमान (करोड़ रूपये में)	वास्तविक व्यय रूपये में)
2020-21	100	61.85	61.86
2021-22	57.6	54.37	52.59
2022-23	55.8	24.8	22.14
2023-24	54.8	20.66	20.64
2024-25 (15.11.2024 तक)	24.8	अभी अंतिम रूप दिया जाना है	8.14

*****